रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1091] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 18, 2006/भाद्र 27, 1928
No. 1091] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 18, 2006/BHADRA 27, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2006

का.आ. 1561(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1660(अ), तारीख 25 नवम्बर, 2005, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 76 के 113.800 कि. मी. से 165.500 कि. मी. (पिंदवाड़ा में कि. मी. 0) तक के भूखण्ड के निर्माण (चार लेन बनाने), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 25 दिसम्बर, 2005 को "दैनिक भास्कर" और तारीख 22 दिसम्बर, 2005 को "प्रात:काल" में प्रकाशित किया गया था;

और, आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 76 के 113.800 कि. मी. से 165.500 कि. मी. (उदयपुर-मंगलवार सेक्शन) तक के भूखण्ड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम सं.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अर्जित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (बीघा-बिस्वा में)	भूस्वामी/अन्य हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	उदयपुर	मावली	डबोक	387 मीन 386 मीन	निजी भूमि	बंजर	0-04	राधेश्याम पुत्र चोगामल सिंधी निवासी उदयपुर 1/2, अशोक कुमार पुत्र नोटनदास सिंधी निवासी इंदौर वर्तमान निवासी उदयपुर किरायेदार 1/2
				1951	निजी भूमि	मकान	0-03	केवल पुत्र मोती मुतबन्ना हीरा भील निवासी नाहरमगारा किरायेदार
				1947 मीन	निजी भूमि	चाही-I	0-03	रामा पुत्र देवा मीणा निवासी गड़वा किरायेदार

[फा. सं. भाराराप्रा/जीएम (पीयू)/ 2001-किश.-उदय. सेक्शन-केयू-VI/एलए]

पी. एस. राणा, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2006

S.O. 1561(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O.1660(E), dated the 25th November, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (four-laning) of National Highway No.76 on the stretch of land from Km 113.800 to Km 165.500 (Km. 0 at Pindwara) of Udaipur-Mangalwar Section in District Udaipur, in the State of Rajasthan;

And, whereas, the substance of the said notification has been published in "The Dainik Bhaskar", dated the 25th December, 2005 and in "The Pratahkal", dated the 22nd December, 2005, under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And, whereas, objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 113.800 to Km. 165.500 (Udaipur - Mangalwar Section) on the National Highway No.76 in the State of Rajasthan.

Sl. No.	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Land to be acquired (in Bigha-Biswa)	Name of land owners/ Interested Persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Udaipur	Mavli	Dabok	387 min, 386 min	Private Land	Banjar	0-04	Radheshyam S/o Chogamal Sindhi R/o Udaipur 1/2, Ashok Kumar S/o Notandas Sindhi R/o Indore present R/o Udaipur Tenant 1/2.
				1951	Private Land	Makan	0-03	Keval S/o Moti Mutbanna Hira Bhil R/o Naharmagara Tenant.
				1947 Min	Prvate Land	Chahi-I	0-03	Rama S/o Deva Meena R/o Gadva Tenant.

[F. No. NHAI/GM (PU)/2001-Kish.-Udr.-Sec-KU-VI/LA]

P. S. RANA, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.